न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 63 / 2021

अजीतसिंह पौत्र स्व0 भजनसिंह स्वतंत्रता सेनानी रामजी दरवाजा कामां जिला भरतपुर।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 01.09.2021**

अपीलार्थी द्वारा यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट अजीतसिंह पौत्र स्व0 भजनसिंह स्वतंत्रता सेनानी रामजी दरवाजा कामां जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 19.04.2021 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 532 दिनांक 12.08.2021 के द्वारा प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के पत्रांक 5569 दिनांक 27.08.2021 से जबाव प्राप्त हुआ जो संलग्न मिसिल है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त जवाव पर गौर किया। प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर ने अपने जवाव में अंकित किया है कि उनके पत्र कमांक 3429 दिनांक 07.06.2021 से अपीलान्ट को निर्धारित सूचना शुल्क जमा राजकोष कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया था किन्तु आवेदक द्वारा सूचना शुल्क जमा राजकोष नही कराने के कारण आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, भरतपुर के जबाव पत्र कमांक 3429 दिनांक 07.06.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बार में प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी उनके कार्यालय में निर्धारित सूचना शुल्क जमा राजकोष नहीं कराया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि रेस्पो0 के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। अपील अपीलान्ट खारिज के रहती है। फिर भी अपीलार्थी से अपेक्षा की जाती है कि यदि वे वांछित सूचना लेने के इच्छुक हों तो प्रभारी अधिकारी सामान्य

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर के कार्यालय में नियमानुसार सूचना शुल्क जमा राजकोष कराकर सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर से प्राप्त पत्रादिं के साथ) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलक्ट्रेट, भरतपुर को भी भेजी जावे ।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर